न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाप, जिला–जोधपुर
पीठासीन अधिकारी राजलक्ष्मी गहलोत (आर.ए.एस.)

प्रार्थी

1. उमर फारूख पुत्र जीवणखां
जाति मुसलमान निवासी भारेवाला
तहसील पोकरण जिला जैसलमेर
जरिये आम मुख्तीयार जीवणखां
जीवणखां पुत्र इमामदीन
जाति मुसलमान निवासी भारेवाला
तहसील पोकरण जिला जैसलमेर

बनाम

अप्रार्थीगण

1. शतुड़ी पुत्री अनोपाराम
जाति नाई निवासी जोधाणी
2. इब्राहित पुत्र कासमखां
जाति मुसलमान निवासी
निवासी ग्राम जोधाणी
3. तहसीलदार बाप
4. यार मोहम्मद पुत्र मलूखां
जाति मुसलमान निवासी
नुरे की भुर्ज तह. बाप

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131.136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम
मुकदमा नंबरः– 87/2018
उपस्थित अधिवक्ता :–

1. श्री मदनसिंह भाटी प्रार्थी की और से
2. श्री विजय तंवर अप्रार्थी संख्या 4 की और से
3. राजकीय सरकार अप्रार्थी संख्या 3 की और से

निर्णय

दिनांकः– 20.08.2019

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का सार निम्नानुसार इस प्रकार है कि प्रार्थी की कयशुद्वा काश्त भूमि खसरा नंबर 16/1 रकबा 37.10 बीघा, खसरा नंबर 16/2 रकबा 29.04 बीघा में 4/6 हिस्सा यानि कुल रकबा 2/3 हिस्सा, खसरा नंबर 16/7 रकबा 37.10 बीघा में से 1/4 हिस्सा ग्राम भड़ला पटवर क्षेत्र नूरे की भुर्ज तहसील बाप में आई हुई है। जमाबंदी की प्रमाणित प्रतिलिपि सम्वत 2072–75 संलग्न है।

प्रार्थी की भूमि कयशुद्वा कब्जा काश्त की भूमि है, प्रार्थी द्वारा भूमि क्रय करने के वक्त मौके पर कब्जा प्राप्त किया, उस वक्त विक्रेतागण की भूमि की तरमीम नक्शा में की हुई नहीं थी। प्रार्थी ने मौके पर विक्रेतागण से वास्तविक एवं भौतिक कब्जा प्राप्त कर लिया था। उसी माफिक कब्जा काश्त चला आ रहा है।

प्रार्थी और उसके सह हिस्सेदार अप्रार्थीगण के द्वारा खसरा नंबर 16/1, 16/2, और 16/7 की तरमीम की जाने के बाबत् तहसीलदार बाप एवं किसी मातहत राजस्व कर्मचारी को कोई प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया और न ही उन्होनें मौका तस्दीक किया।

उप खण्ड अधिकारी-बाप

Scanned by CamScanner

प्रार्थी की तरफ से मौके पर कब्जा काश्त के मुताबिक तरमीम करवाने के लिए पैमाईश का आवेदन पेश किया तथा मौका पर पैमाईश की जाने पर प्रार्थी को जानकारी मिली कि खसरा नंबर 16/1, 16/2 व 16/7 प्रार्थी द्वारा भूमि क्रय करने के बाद प्रार्थी और उसके सह हिस्सेदारान में से किसी के भी द्वारा मौका अनुसार तरमीम की जाने का कोई मौखिक एवं लिखित में किसी भी सक्षम अधिकारी के समक्ष कोई आवेदन नहीं करने के बावजूद मूल खसरा नंबर 16 की उत्तरी सीमा पर गलत तरमीम कर दी गई जबकि प्रार्थी और उसके सह हिस्सेदारान का कब्जा काश्त वर्तमान राजस्व नक्शा में दक्षिण दिशा में तथा प्रार्थी एवं उसके हिस्सेदारान की भूमि का मौके पर कब्जा काश्त से हटकर अन्य स्थानपर प्रार्थी व उसके हिस्सेदारान को सुनवाई का कोई नोटिस एवं अवसर दिये बिना राजस्व कर्मचारियों द्वारा गलत तरमीम कर दी गई, जिसे प्रार्थी निरस्त करवाने का जायज हकदार है।

प्रार्थी ने उसकी क्रयशुदा भूमि की तरमीम करवाने के लिए पैमाईश करने का प्रार्थना पत्र पेश किया तथा मौका पर की गई तरमीम को माफिक पैमाईश कर दिनांक 22.04.2018 को गलत तरमीम के आधार पर फर्द पैमाईश तैयार कर प्रार्थी को उसकी क्रयशुदा भूमि की मौके से हटकर गलत स्थान पर तरमीम की जाने की जानकारी मिली। प्रार्थी कब्जा काश्त से दूर की गई गलत तरमीम को निरस्त करवाने का हकदार है, जिसका यह प्रार्थना पत्र पेश किया है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये समन तलब किया गया। समन बाद तामिल प्राप्त होने पर शामिल मिसल किये गये। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रकरण में अप्रार्थी यार मोहम्मद की ओर वकील विजय तंवर ने वकालतनामा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का पेश किया जो स्वीकार किया गया। वकील प्रार्थी द्वारा संशोधित प्रार्थना पत्र शीर्षक पेश किया जो शामिल मिसल किया गया है।

अप्रार्थी संख्या 4 यार मोहम्द के वकील द्वारा जवाब पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। जवाब में बताया कि प्रार्थी की खरीद शुद्घा खातेदारी की भूमि ग्राम बड़ला पटवार क्षेत्र नुरे की भुर्ज के खसरा नंबर 16/1, 16/2 व 16/3 में आई हुई है। वादग्रस्त खसरान् नक्शा लट्ठा ट्रैस में मौजूद तरमीम में किसी प्रकार की त्रुटि प्रार्थी को नहीं लगती है तथा वर्तमान तरमीम मौका कब्जा अनुसार ही है। अप्रार्थी संख्या 4 यार मोहम्मद पुत्र मलूकखां को प्रार्थी उमर फारूख या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा वादग्रस्त भूमि की पैमाईश के संबंध में पेश आवेदन कि किसी प्रकार की जानकारी नहीं है तथा अप्रार्थी संख्या 4 यार मोहम्मद की खरीदशुद्घा कृषि भूमि खसरा नंबर 16/2 का मौके पर कब्जा काश्त अनुसार ही नक्शा लट्ठा ट्रैस में तरमीम हो रखी है जिसमें राजस्व अधिकारियों द्वारा किसी प्रकार की त्रुटि कारित नहीं की गई है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र वास्ते नजरी नक्शा प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल किया गया। प्रार्थना पत्र में बताया कि ग्राम भड़ला के खसरा नंबर 16/1 रकबा 37.10 बीघा, खसरा नंबर 16/2 रकबा 29.04 बीघा में 2/3 हिस्सा, खसरा नंबर 16/7 रकबा 37.10 बीघा भूमि में 1/4 हिस्सा संयुक्त भूमि की राजस्व नक ा में की गई तरमीम को निरस्त कर माफिक कब्जा काश्त तरमीम दुरूस्ती जाने का निवेदन किया है। प्रार्थी तरमीम दुरूस्ती हेतु खसरा नंबर 16/1 रकबा 37.10 बीघा नजरी नक्शा में मार्क ए, बी, सी, डी, माफिक, खसरा नंबर 16/2 रकबा 29.04 बीघा में प्रार्थी के 2/3 हिस्सा मार्क ए, डी, ई, एफ, जी, एच, जे, के मध्य सकम्मलित माफिक खसरा नंबर 16/7 रकबा 37.10 बीघा भूमि प्रार्थी का 1/4 हिस्सा सम्मिलित माफिक मार्क जे, के, बी, ए के माफिक रखी जाकर नवीन तरमीम करवाना चाहता है। प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा को प्रार्थना पत्र का भाग रखा जावे।

अतः प्रार्थी की तरफ से प्रार्थना पत्र वास्ते नजरी नक्शा प्रस्तुत करने, प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम भड़ला के खसरा नंबर 16/1 रकबा 37.10 बीघा, खसरा नंबर 16/2 रकबा 29.04 बीघा व खसरा नंबर 16/7 रकबा 37.10 बीघा प्रार्थी की संयुक्त भूमि प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा के माफिक तरमीम करने के आदेश फरमावे। उक्त प्रार्थना पत्र के संबंध में वकील अप्रार्थी संख्या 4 ने जवाब पेश नहीं किया।

अप्रार्थी संख्या 3 पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप ने जवाब पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। पैरोकार सरकार ने जवाब में बताया कि राजस्थान लैण्ड रिकार्डस नियमावली के नियम 29 (1) के अनुसार भू–अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का को गश्त गिरदावरी के समय अगर किसी खसरे में परिवर्तन नजर आये तो वह उसे अंकित करता है व लट्ठा नक्शा में संशोधन करता है, अतः इस बाबत किसी आदेश की आवश्यकता नहीं है। उक्त प्रार्थना पत्र में प्रार्थी के द्वारा संशोधित प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। जिसमें सलंग्न नजरी नक्शे के अनुसार पुरानी तरमीम को निरस्त करते हुवे नजरी नक्शा के अनुसार नई तरमीम बाबत् आदेश पारित किये जाते है तो राजकीय पक्ष को किसी प्रकार की आपति नहीं है और न ही सरकार को किसी प्रकार की हानि पहुचती है। अतः प्रार्थना पत्र का जिमन संख्या (4) संशोधित प्रार्थना पत्र (संलग्न नक्शे सहित) के आधार पर मूल प्रार्थना पत्र स्वीकार है। अन्त में प्रार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष अगर माननीय न्यायालय द्वारा संशोधित प्रार्थना पत्र के आधार पर दोनों पक्षों की सहमति से दिया जाता है तो राजकीय पक्ष को कोई आपति नहीं है।

प्रार्थी के प्रार्थना अन्तर्गत धारा 131.136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम पर उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र पेश करते वक्त प्रार्थना पत्र के साथ नजरी नक्शा पेश नही किया गया था जो अब कर दिया है इसी नजरी नक्शा अनुसार तरमीम की जावे पूर्व तरमीम कब्जा

Scanned by CamScanner

अनुसार नहीं की गई है। तरमीम दुरूस्त होने कोई भी सहखातेदार प्रभावित नहीं होगा। अतः पूर्व तरमीम को निरस्त करते हुवे संलग्न नजरी नक्शा अनुसार तरमीम करवाये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

वकील अप्रार्थी संख्या 4 ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों दोहराते हुवे कथन किया कि अप्रार्थी वादग्रस्त भूमि में सहखातेदार है जिसके खसरा नंबर 16/2 रकबा 5 बीघा है वर्तमान तरमीम को निरस्त कर नई तरमीम के आदेश किये जाते है तो अप्रार्थी का हित प्रभावित होगा अप्रार्थी तरमीम दुरूस्ती नहीं करवाना चाहता है अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

प्रार्थी संख्या 3 ने अपनी बहस में बताया कि आपसी सहमति से तरमीम दुरूस्ती का आदेश जारी किया जाता है तो उन्हे कोई आपति नहीं है न ही किसी प्रकार का राजहित प्रभावित होता है।

उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 16/1, 16/2 व 16/7 राजस्व ग्राम भड़ला तहसील बाप में स्थित है। जो राजस्व रेकर्ड से प्रमाणित है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम न्यायालय द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम भड़ला के खसरा नंबर 16/1 व 16/7 की वर्तमान तरमीम को निरस्त किया जाता है। उक्त खसरान् की तरमीम मौका, राजस्व रेकर्ड एवं कब्जे अनुसार जांच कर पुनः किये जाने के आदेश तहसीलदार बाप को दिये जाते है। खसरा नंबर 16/2 की तरमीम वर्तमान अनुसार यथावत रहेगी। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.08.2019 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजलक्ष्मी गहलोत)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी बाप
बाप (जोधपुर)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बाप, जिला जोधपुर (राज.)